संख्या-133(१)/एक–10-2024

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ:दिनांक : 08 फरवरी, 2024

विषय– राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पी0आर0डी0 एवं स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तर पर मंगल दल के युवाओं के प्रशिक्षण के उपरान्त आपदा प्रतियुत्तर हेतु वालेन्टियर्स को इमरजेन्सी किट उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से युवा कल्याण विभाग द्वारा समर्पित रू0 5,20,00,000/- की धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-826/एक-10-202333(04)/2023, दिनांक 08.06.2023 द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, पी0आर0डी0 एवं स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तर पर मंगल दल के युवाओं के प्रशिक्षण व आपदा प्रतियुत्तर हेतु वालेन्टियर्स को इमरजेन्सी किट उपलब्ध कराने हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से अपर मुख्य सचिव, युवा कल्याण विभाग को कुल रू0 9,46,00,000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी। युवा कल्याण विभाग के अनुरोध पर उक्त धनराशि वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त द्वारा महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल दल एवं युवा कल्याण निदेशालय के डी0डी0ओ0 कोड पर दिनांक 03.07.2023 को ग्रिड आंवटित की गयी।

2- उक्त के क्रम में युवा कल्याण विभाग द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि में से शासनादेश दिनांक 08.06.2023 में उल्लिखित प्रशिक्षण आदि के कार्यक्रम करने के उपरान्त स्वयंसेवकों को इमरजेन्सी किट उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर जेम पोर्टल के माध्यम से इमरजेन्सी किट क्रय करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत 24 जनपदों के जिलाधिकारियों को युवा कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 07.12.2023 एवं 29.12.2023 में उल्लिखित विवरण के अनुसार जनपदों को धनराशि आंतरित किये जाने हेतु अवशेष रू0 5,20,00,000/- समर्पित करते हुए पुनः युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

3- युवा कल्याण विभाग द्वारा समर्पित उक्त धनराशि रू0 5,20,00,000/- का समर्पण राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 17.01.2024 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। राजस्व विभाग की अप्रेजल कमेटी की बैठक दिनांक 15.12.2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में उक्त अवशेष

धनराशि युवा कल्याण विभाग से वापस ली गयी। इमरजेन्सी किट युवा कल्याण विभाग द्वारा 24 जनपदों से जेम पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग क्रय किये जाने के आदेश के दृष्टिगत उक्त इमरजेन्सी किट को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के माध्यम से, केन्द्रीयकृत रूप से जेम पोर्टल/ई-टेण्डर के माध्यम से क्रय कराते हुए, युवा कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 07.12.2023 में वर्णित निम्नलिखित 24 जनपदों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-6 में अंकित धनराशि के अंतर्गत इमरजेन्सी रिस्पॉन्डर किट स्वयं सेवकों को जिलाधिकारियों के माध्यम से वितरित कराये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि इस वित्तीय वर्ष में उक्त धनराशि का उपयोग हो सके:-

क्र.सं.	जनपद	मंगल दल के सदस्यों की संख्या	पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों की संख्या	प्रशिक्षार्थियों की कुल संख्या	प्रशिक्षार्थियों के ई.आर. किट की कुल धनराशि (कालम05X8000)	जनपद को आन्तरित की जाने वाली कुल धनराशि का योग
01	02	03	04	05	06	07
01	बस्ती	270	40	310	2480000	2480000
02	गोण्डा	450	40	490	3920000	3920000
03	मिर्जापुर	300	40	340	2720000	2720000
04	कौशाम्बी	145	40	185	1480000	1480000
05	फतेहपुर	305	40	345	2760000	2760000
06	कानपुर देहात	225	40	265	2120000	2120000
07	सीतापुर	570	80	650	5200000	5200000
08	इटावा	140	40	180	1440000	1440000
09	झांसी	130	50	180	1440000	1440000
10	जालौन	180	45	225	1800000	1800000
11	ललितपुर	150	35	185	1480000	1480000
12	चित्रकूट	95	40	135	1080000	1080000
13	हमीरपुर	115	35	150	1200000	1200000
14	बांदा	170	45	215	1720000	1720000
15	आगरा	255	35	290	2320000	2320000
16	मथुरा	185	35	220	1760000	1760000
17	मैनपुरी	200	45	245	1960000	1960000
18	अलीगढ	310	35	345	2760000	2760000
19	गौतमबुद्ध नगर	40	35	75	600000	600000
20	बिजनौर	415	40	455	3640000	3640000
21	शाहजहांपुर	260	40	300	2400000	2400000
22	पीलीभीत	210	40	250	2000000	2000000
23	बदायूं	195	45	240	1920000	1920000
24	मुजफ्फर नगर	185	40	225	1800000	1800000
	योग	**5500**	**1000**	**6500**	**52000000**	**52000000**

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 08.06.2023 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से समर्पित धनराशि रू0 5,20,00,000/- युवा कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 07.12.2023 में इंगित उक्त 24 जनपदों के 6500 स्वयंसेवकों को इमरजेन्सी रिस्पॉन्डर किट वितरित किये जाने हेतु उक्त धनराशि रू0 5,20,00,000/- अपर मुख्य कार्यपालक

अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबंधों</u>

(1) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त–पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार के पत्र सं०-33-02/2020- NDM-1, दिनांक 14.01.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) ई-टेण्डरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(8) इमरजेन्सी रिस्पॉन्डर किट के क्रय की प्रक्रिया में कमान्डेण्ड एस0डी0आर0एफ0 को भी सम्मिलित किया जाएगा।

(9) अनुमोदित कार्य योजना के अंतर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरणों/सामग्रियों का क्रय एक साथ चालू वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से कर लिया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रु0 5,20,00,000/- (रू0 पांच करोड बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 4250-101-05-24 वृहत निर्माण कार्य मद में स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

संख्याः- 133(2)(1)/एक-10-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, प्रयागराज, उ0प्र0।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, युवा कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन उनके पत्र संख्या- 2685 पचास/यु0क02023, दिनांक 29.12.2023 व पत्र सं0- 2588(क)पचास/यु0क0-2023 दिनांक- 07.12.2023 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त उलिल्खित 24 जनपदों को इमरजेन्सी किट का क्रय अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के स्तर से क्रय कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी, बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, सीतापुर, इटावा, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ, गौतमबुद्ध नगर, बिजनौर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं एवं मुजफ्फर नगर, उ0प्र0।

6- महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल, उ0प्र0, लखनऊ।

7- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- सेनानायक, राज्य आपदा मोचल बल, उ0प्र0 लखनऊ।

9-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय ,राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

10- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/ राजस्व अनुभाग-11 ।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/02/2024

प्रेषण संख्या:- 133
आवंटन आदेश संख्या:- 001-133A
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - प्राकृतिक आपदाएं
05 - स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	52000000 168167000	52000000 168167000
	योग	वर्तमान प्रगामी	52000000 168167000	52000000 168167000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ बीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ इक्यासी लाख सरसठ हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन